

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क./एफ- 287 / 1 / सा.प्र.वि. / 21 / 6 /

भिलाई, दिनांक 17.01.2021

/ / आदेश / /

श्री अरुण कुमार सिंह, पिता श्री शिवदत्त सिंह, पम्प सहायक की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 17.01.2021 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2021 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपायुक्त
नगर सहायक निगम
सामान्य प्रशासन विभाग
नगर पालिक निगम
भिलाई
भिलाई, दिनांक 17.01.2021

पृ.क्र./एफ- 287 / 1 / सा.प्र.वि. / 21 / 62
प्रतिलिपि :-

1. महापौर /अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 02, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 04, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाशिकारी /जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभासी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
10. प्रभासी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
11. श्री अरुण कुमार सिंह, पिता श्री शिवदत्त सिंह, पम्प सहायक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त

नगर सहायक निगम
सामान्य प्रशासन विभाग
नगर पालिक निगम
भिलाई